राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) न्यायालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
25— डी, माता सुंदरी मार्ग, गुरु नानक आई सेन्टर के पास
नई दिल्ली—110002

दूरभाष संख्या— 23216001—23216004, **E-mail: comdis.delhi@nic.in**
(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 82 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों से निहित)

(4)

केस सं० 1091/1092/2019/08 /6585—6587 दिनांक — 11/10/2019

के संदर्भ में

सुश्री काजल,
एम—953, ब्लॉक एम,
मंगोलपुरी,
दिल्ली—110083 ....शिकायतकर्ता

बनाम

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस कॉम्पलैक्स,
नई दिल्ली—110002 ....प्रतिवादी स. (1)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर—पश्चिम—1,
एन.पी.एस. भवन, विश्राम चौक के पास, सेक्टर—4,
रोहिणी, दिल्ली—110085 ....प्रतिवादी स. (2)

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता जो कि 88% अस्थि दिव्यांग (Locomotor Disability) है, ने अपनी शिकायत दिनांक 21.08.2019 के माध्यम से बताया कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार में दिव्यांगता पेंशन के लिए आवेदन संख्या 26040000001094 के तहत दिनांक 18.06.2017 को आवेदन किया था। परन्तु शिकायत की तारीख तक भी पेंशन जारी नहीं कि गयी।

Court of Commissioner (Disabilities)
National Capital Territory of Delhi
Room No. - 1
25-D, Mata Sundari Road, New Delhi-02

2. उपरोक्त शिकायत को प्रतिवादियों के साथ कारण बताओ एवं सुनवाई नोटिस दिनांक 28.08.2019 के द्वारा उठाया गया और दिनांक 25.09.2019 तक पेंशन जारी करने का निर्देश दिया गया ऐसा न करने पर मामले को दिनांक 03.10.2019 को सुनवाई के लिए रखा गया।

3. समाज कल्याण विभाग, एफ.ए.एस, दिल्ली सरकार, ने अपने पत्र संख्या एफ–41(59)/एफ.ए.एस/डी.एस.डब्ल्य/एमआइएससी/डब्ल्यूओ./2010–11/वोल–1/15784 दिनांक 12.09.2019 के माध्यम से सूचित किया कि सूश्री काजल ने दिव्यागता पेंशन के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से दिनांक 18.06.2019 को आवेदन किया था। संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर–पश्चिम–1 ने मामले को दिनांक 09.09.2019 के द्वारा स्वीकृति दे दी थी। अनुमोदन के बाद, मामला सत्यापन और आगे के भुगतान के लिए पी.एफ.एम.एस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

4. इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता से दिनांक 07.10.2019 को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर (91+ 9211189092) पर संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि उनके बैंक खाते में दिव्यांगता पेंशन आ गयी है और उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार मामले को निस्तारित किया जाता है।

6. आज **दिनांक** 09.10.2019 इस न्यायालय व राज्य आयुक्त द्वारा मोहर के साथ जारी किया गया।

Court of Commissioner (Disabilities) National Capital Territory of Delhi सत्यमेव जयते

(टी. डी. धारियाल)

राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन)

Court of Commissioner (Disabilities)
National Capital Territory of Delhi
Room No. - 1
25-D, Mata Sundari Road, New Delhi-02